न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 156/2019 (65/2019)

GCMS NO. : 2019/00031

–:: प्रार्थी ::–

1. मांगीलाल उर्फ मांगू पुत्र स्व. प्रताप जाति– गुर्जर निवासी–ग्राम बलूपुरा तहसील – जैतारण, जिला –पाली राजस्थान। हाल मुकाम पानी की टंकी के सामने बोराबास कोटा, तहसील व जिला कोटा जरिये मुख्त्यारआम इकबाल पुत्र मुंशी खां जाति लुहार निवासी एकतानगर अजमेर तहसील व जिला अजमेर एवं कैलाश पुत्र भागू जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. पन्नाराम पुत्र गंगाराम
2. मोतीदेवी पुत्र गंगाराम
3. नेमाराम पुत्र गोपाराम
4. माणक पुत्र गोपाराम
5. अर्जुनराम पुत्र गोपाराम
6. मुन्नीदेवी पुत्री गोपाराम
7. जतुडी पत्नि भंवरलाल (मृतक नाम तर्क आदेश दि0 23.12.2019)
8. भाकरराम पुत्र पोकरराम
9. जयराम पुत्र पोकरराम
10. रेवन्तराम पुत्र नेमाराम
11. प्रतापराम पुत्र नेमाराम

    समस्त जाति–राईका निवासी–ग्राम बलुपुरा तहसील–जैतारण जिला –पाली।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 25/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री रामसुख चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः 24/09/2021

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि उपरोक्त उनवानी वाद वास्ते उदघोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष [illegible] है जिसमें सफलता की प्रार्थी को पूर्ण आशा है। प्रार्थी की खातेदारी/[illegible] की आराजीयात ग्राम बलूपुरा तहसील जैतारण जिला [illegible] राजस्व साबिक व वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार वर्णन निम्नानुसार है, खाता संख्या नया 100 [illegible] रकबा 7–05 बीघा, खसरा 98 रकबा 3–15 बीघा, खाता संख्या नया 133 पुराना 126 खसरा नम्बर 100 रकबा 28–06 बीघा सभी किस्म बारानी अव्वल है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:49:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण

काश्तकार प्रार्थी के स्व. पिता प्रताप पुत्र बदना जाति गुर्जर होकर ग्राम बलूपुरा के स्थायी निवासी थे इसके उपरान्त वादग्रस्त आराजीयात को हडप करने के आशय से अप्रार्थीगण के पूर्वज स्व. गंगाराम वल्द भोलाराम राईका द्वारा तत्कालीन राजस्व ऐजेन्सी से साठ–गाठ कर वादग्रस्त आराजीयात बिना किसी आधार के अवैधानिक रूप से सम्वत् 2021 से 2025 की जामाबादी अपने नाम अंकन करवा ली। उक्त अंकन तथा उक्त अंकन के पश्चात करवाये गये समस्त अंकन प्रार्थी के स्वत्व व अधिकारों के प्रति प्रभावहीन व बेअसर घोषित किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात का प्रार्थी को खातेदार काश्तकार उद्घोषित करवाने हेतु उक्त उनवानी वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है एवं ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार प्रताप पुत्र बदना जाति गुर्जर थे जो मिसल बन्दोबस्त बलूपुरा तहसील जैतारण सम्वत् 2011 से 2030 की खाता संख्या 4 से स्वयं सिद्ध है किन्तु इसके पश्चात अप्रार्थीगण के पूर्वज स्व. गंगाराम पुत्र गोलाराम जाति राईका ने वादग्रस्त आराजीयात की जमाबन्दी सम्वत् 2017 से 2020 के कॉलम संख्या 16 में गलत अंकन कि प्रताप पुत्र बदना व उसकी औलाद इस ग्राम में नहीं है का अंकन करवा कर वादग्रस्त आराजीयात अप्रार्थीगण के पूर्वज गंगाराम ने अपने नाम गैर कानूनी रूप से रिकार्ड में अंकन करवा लिया तथा उक्त गैर कानूनी अकन के कारण गंगाराम पुत्र भोलाराम के स्वर्गवास पर अप्रार्थीगण ने विरासती नामांतरकरण संख्या 172 दिनांक 26.12.1994 अपने नाम राज्य गैर कानूनी रूप से स्वीकृत करवा लिया तथा इसी प्रकार गंगाराम के पुत्रगण गोपाराम, भंवरलाल तथा सेणीदेवी पत्नि गंगाराम के स्वर्गवास पश्चात वादग्रस्त आराजीयात अप्रार्थीगण के नाम गैर कानूनी रूप से अंकित कर दी गई। उपरोक्त सम्पूर्ण इन्दाजात प्रार्थीगण के स्वत्व एवं अधिकारों के प्रति प्रभावहीन एवं बेअरार घोषित किये जाकर वादग्रस्त आराजीयात का प्रार्थी को खातेदार काश्तकार उदघोषित करवाने हेतु उक्त उनवानी वाद श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत किया जा चुका है एवं ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वादग्रस्त आराजीयात पर पूर्व में प्रार्थी के पिता प्रताप पुत्र बदना कौम गुर्जर निवासी बलूपुरा तहसील जैतारण काबिज काश्त रहे तथा वर्तमान में आराजीयात पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में करवाये गए गैर कानूनी इन्द्राजात के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम गलत रूप से अंकन होने के कारण अप्रार्थीगण, इनके नौकर चाकर, मित्रगण, हितेषी इत्यादी प्रार्थी के शांतिपूर्वक चले आ रहे कब्जे काश्त में दखलंदाजी व मदाखलत उत्पन्न करने, वादग्रस्त आराजीयात को अन्यत्र रहन, बय, मुंतकिल करने, जबरन प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा हैं जिसमें यदि वे सफल हो गए तो प्रार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:49:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

अपूर्णीय क्षति कारित होगी। अतः अप्रार्थीगण को उक्त कृत्य कारित करने से पाबन्द फरमाने हेतु उक्त उनवानी वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण श्रीमान् की सेवा में प्रस्तुत किया जा चुका है एवं ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वादग्रस्त आराजीयात बाबत् वाद कारण सर्वप्रथम वादग्रस्त आराजीयात की जमाबन्दी सम्वत् 2017 से 2020 के कॉलम संख्या 16 में प्रार्थी के पिता प्रताप वल्द बदना जाति गुर्जर बाबत् राजस्व ऐजेन्सी से अप्रार्थीगण के पूर्वज गंगाराम वल्द भोलाराम जाति राईका द्वारा यह अंकन करवा कर कि उक्त नाम का कोई व्यक्ति तथा उनके विधिक वारिसान ग्राम बलूपुरा में नही है तत्पश्चात् मुर्तिब राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी रहन, बेचान, दान इत्यादी के बिना अपने नाम रिकार्ड बनवा लिया तथा उक्त गलत व गैर कानूनी अंकन की दुरुस्ती बाबत् प्रार्थी ने दिनाक 20.12.2018 को अप्रार्थीगण से राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन करने पर अप्रार्थीगण द्वारा स्पष्ट इन्कार करने एवं प्रार्थी को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल करने की धमकी देने से उत्पन्न होकर आज दिनांक लगातार जारी है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजीयात पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न करने, प्रार्थी को जबरन बेदखल करने का नाजायज प्रयास करने तथा वादग्रस्त आराजीयात को अन्यत्र रहन, बय, मुतकिल करने से अप्रार्थीगण, उनके नौकर चाकर, मित्रगण, रिश्तेदारान, हितैषीगण इत्यादी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद पाबन्द फरमाया जावे।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलन की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो सा0मि0 है। गैरसायलान ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 का जबाब है कि – सरहद मौजा बलपूरा तहसील जैतारण में वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गैरसायलान की शामलाति खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 88 रकबा 07–05 बीघा, खसरा नम्बर 98 रकबा 03–15 बीघा, खसरा नम्बर 100 रकबा 28–06 बीघा आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी में सायलानगण न तो खातेदार काश्तकार है एवं न ही कभी वादग्रस्त आराजी इनकी खा[illegible] ही है। मात्र प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की गरज से उक्त तथ्य अंकित [illegible]। जबकि खसरा नम्बर 100 रकबा 28–06 बीघा में गैरसायलान संख्या 08 से लगायत 11 ने जरिये रजिस्टर्ड बेचान के खरीद कर [illegible] दिनांक 24.05.2003 को रजिस्टर्ड हो रखा है जिसमें गैरसायलान संख्या 08 वच 09 1/2 हिस्से के हिस्सेदार है एवं शेष 1/2 हिस्से के हिस्सेदार गैरसायलान संख्या 10 व 11 है। इसके अलावा इस खसरे में अन्य कोई हिस्सेदार नही है

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:49:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण

उक्त खसरा नम्बर 100 गैरसायलान सख्या 08 से 11 ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के खरीद किया है जो भी रजिस्टर्ड बेचाननामा आज दिन तक प्रभावी है। इसलिए उक्त खसरा नम्बरान में गैरसायलान संख्या 08 से 11 को जो आराजी मिली है वह जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के मिली है शेष खसरा नम्बर 85 व 98 के खातेदार 01 से लगायत 06 है इसलिए वादग्रस्त आराजी में सायल खातेदार काश्तकार नही है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 का जबाब है कि सायल के पिता प्रताप पुत्र बदना गुर्जर कभी बलूपूरा के स्थाई निवासी रहे ही नहीं तथा वादग्रस्त आराजी में उनका कभी कोई नाम वगैरा इन्द्राज नही रहा है मात्र रोंग एन्ट्री से उनका कहीं नाम इन्द्राज हो गया हो, जबकि प्रताप पुत्र बदना गुर्जर वहां के निवासी नहीं है एवं न ही कभी बलूपूरा गांव में रहे है। जबकि वास्तविकता यह है कि सेटलमेंट से पहले उक्त आराजी जागीरदारों की आराजी थी और जिस पर कब्जा शुरू से ही गैरसायलान के पूर्वज गंगाराम वल्द भोलाराम जी राईका का था एवं कब्जे के आधार पर गंगाराम वल्द भोलाराम जी राईका को खातेदारी अधिकार मिले एवं उनका नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ तब से लेकर आज दिन तक उनका नाम निर्विवाद रूप से राजस्व रेकर्ड में चला आ रहा है। गैरसायलान जो कि सेटलमेंट से आज दिन तक काबिज होने से उनको खातेदारी अधिकार मिले। इसलिए सायल द्वारा यह तथ्य अंकित करना कि–गैरसायलान के अधिकार प्रभावहीन है यह तथ्य पूर्णतया बेबुनियाद व झूठे है क्योकि सायल के पिता प्रताप पुत्र बदना जो कि कभी इस गांव में रहे ही नही एवं न ही कभी इनका कब्जा काश्त रहा तो मात्र एक बाद जमाबंदी में गलती से नाम इन्द्राज होने मात्र से कोई खातेदारी अधिकार सायल को प्राप्त नहीं हो जातें है तथा जबाब देहन्दा गैरसायलान शुरू से ही इस आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है और उनका नाम लगातार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। इसलिए वादग्रस्त आराजी में सायलगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 का जबाब है कि–प्रताप पुत्र बदना गुर्जर जो कि बलूपूरा गांव में नहीं रहे एवं न ही उनके कभी वारिसान यहां आये न उनका इस आराजी में कभी कब्जा काश्त रहा, कब्जा काश्त गंगाराम पुत्र भोलाराम का था एवं इसी आधार पर जमाबंदी संवत् 2017 से 2020 की जमाबंदी में कब्जा व काश्त के आधार पर उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये, तब से लेकर के आज दिन तक नि[illegible] से इस आराजी पर काबिज है सायल द्वारा यह तथ्य अंकित [illegible] गैर कानूनी रूप से रेकर्ड में अपना नाम इन्द्राज करवा लिया, [illegible] तथ्य पूर्णतया गलत व झूठे है। क्योकि जब वादग्रस्त [illegible] शुरू [illegible] जबाब देहन्दा के कब्जे में थी एवं तत्कालीन आर.आई. पटवारी ने सम्पूर्ण जांच कर जमाबंदी में खातेदारी अधिकार प्रविष्ट किये और यदि प्रताप पुत्र बदना नाम का यदि कोई व्यक्ति बलूपूरा में रहता तो इतने लम्बे समय बाद यह प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:49:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

प्रस्तुत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी उसी समय अपने नाम की दुरुस्ती करवाते, जबकि ऐसा नही होकर अब जब जमीनों की कीमतें बढ़ गई है तब सायल के आम मुख्तियारधारक किसी व्यक्ति को लाकर के प्रताप पुत्र बदना का वारिस बता दिया है यदि सायल वास्तव में बलूपूरा के निवासी होते तो बलूपूरा के स्थाई निवासी होने का प्रमाण अवश्य ही प्रस्तुत करते, जबकि ऐसा कोई प्रमाण उनके पास नही है। तथा केवल मात्र त्रुटिवश किसी का नाम रेकर्ड में इन्द्राज हो जाने से सायल खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं करवा सकता है। क्योंकि राजस्व रेकर्ड है उसको देखने मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि सायल का कोई कब्जा काश्त नही है एवं न ही वह यहां के स्थाई निवासी है एवं 50 वर्ष बाद प्रार्थना पत्र लेकर आये जो कि म्याद बाहर है एवं उसके बाद खसरा नम्बर 100 की भूमि भी आगे से आगे बेचान भी हो गई एवं उस बेचाननामा को भी किसी भी सिविल न्यायालय में चेलेंज नही किया गया है तब इन तमाम तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी सायल की न तो रही न है और न ही उनका इस आराजी पर कोई हक व अधिकार ही है। एवं न ही उनका कोई कब्जा काश्त रहा है। यदि कोई व्यक्ति 40 वर्षों से ज्यादा किसी आराजी पर काबिज रहता है तो वैसे भी एडवर्स पजेशन के सिद्धान्त पर उसे मालिकाना हक व अधिकार साबित हो जाते है तो इन तमाम तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पर एक मात्र मालिकाना हक व अधिकार जबाब देहन्दा गैरसायलान का है। उक्त तथ्यों के अलावा अन्य तथ्य बेबुनियाद व झूठे होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 का जबाब है कि वादग्रस्त आराजी पर सायल के पिता प्रताप पुत्र बदना का न तो कोई कब्जा काश्त रहा है और न ही इस नाम का व्यक्ति कभी ग्राम बलूपूरा में रहा है तो जब प्रताप पुत्र बदना नाम का व्यक्ति ग्राम बलूपूरा का निवासी ही नही है तो उसका कब्जा काश्त रहना, उसका नाम इन्द्राज होना आदि तथ्य पूर्णतया झूठे व बेबुनियाद है जबकि वास्तविकता यह है कि वादग्रस्त आराजी सेटलमेंट से पूर्व जागीरदारों की आराजी थी एवं उस पर कब्जा काश्त जबाव देहन्दा के पूर्वजों का था एवं कब्जा काश्त होने के आधार पर उन्हें खातेदारी अधिकार दिये गये जो खातेदारी अधिकार आज दिन तक निरन्तर रूपसे प्रभावी है एवं यदि सायल बलूपूरा का स्थाई निवासी होता तो वह उसी समय अपने अधिकारों की घोषणा करवाने के लिए वाद लाता, जबकि 50 वर्ष बाद सायल द्वारा वाद लाया गया है जो म्याद बाहर है जबकि जबाब देहन्दा सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक काबिज है तथा राजस्व रेकर्ड में निरन्तर रूप से दर्ज है और सायल जो बलूपूरा के रहने वाले नही है । न ही उनका यहां का जन्म का कोई या रहवास का कोई प्रमाण ही मौजूद है, मात्र जबाब देहन्दा को हैरान परेशान करने [illegible] परेशान करने एवं जमीन हड़पने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश [illegible] गया है। जो काबिल खरिज के है उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 का जबाब है 5 कि – जमाबंदी संवत् 2017 से 2020 में जो प्रताप वल्द बदना का नाम इन्द्राज हुआ था

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:49:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण

वह एक त्रुटि थी क्योंकि प्रताप पुत्र बदना नाम का व्यक्ति बलूपूरा का निवासी नही था एवं न ही इस नाम के व्यक्ति का कोई कब्जा काश्त था वास्तविकता में उक्त आराजी पर एक मात्र सेटलमेंट के समय से कब्जा काश्त गंगाराम वल्द भोलाराम का था और इसी आधार पर प्रताप पुत्र बदना की त्रुटि को हटाकर जबाब देहन्दा के पूर्वज गंगाराम वल्द भोलाराम जी राईका को खातेदारी अधिकार दिये गये, जो राजस्व रेकर्ड से देखने मात्र से स्पष्ट हो जाता है तथा उसके बाद खसरा नम्बर 100 की जमीन को गंगाराम वल्द भोलाराम जी के वारिसान गैरसायलान संख्या 08 से 11 को अपने परिवार में जायज जरूरत होने से बेचान भी की थी। जो राजस्व रेकर्ड से स्पष्ट है। तथा सायल द्वारा यह कथन अंकित करना कि उन्होने राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त कराने का निवेदन किया उक्त तथ्य पूर्णतय झूठे व बेबुनियाद है। क्योंकि प्रताप पुत्र बदना नाम का कोई व्यक्ति बलूपूरा का निवासी नहीं था। अब जो मांगीलाल सायल उसका पुत्र बनकर आया वह भी झूठा है एवं जमीनों की कीमतें बढ जाने से भूमाफियों ने एक योजना बनाकर आम मुख्तियार के जरिये जबाब देहन्दा से उक्त जमीन हड़पने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। और यदि सायल की वास्तव में यह जमीन होती तो उसी समय राजस्व रेकर्ड में अपने नाम की दुरूस्ती करवाते जबकि अब 50 वर्ष बाद म्याद बाहर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो पोषणीय नही है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 का जबाब है 6 कि – संवत् 2017 से 2020 में जो प्रताप वल्द बदना का अंकन है जो एक मात्र त्रुटिवश नाम अंकित हो गया था जबकि सेटलमेंट से पूर्व से लेकर आज दिन तक उक्त आराजी पर जबाब देहन्दा व उनके पूर्वजों का कब्जा काश्त व नाम चला आ रहा है। तथा सायल बलूपूरा के निवासी नही है एवं न ही इनके पूर्वज कभी गांव में रहे है तथा वर्तमान में भी राजस्व रेकर्ड व मौके पर कब्जा काश्त गैरसायलान जबाब देहन्दा का है। तो मौके से बेदखल करने की धमकी देना एवं आगे से आगे बेचान करने की धमकी देना उक्त तथ्यों पूर्णतय गलत व बेबुनियाद है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 07 का जबाब है कि – वर्तमान राजस्व रेकर्ड व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक कब्जा काश्त में एक मात्र जबाब देहन्दा गैरसायलान का हक व अधिकार है मौके पर उनका ही कब्जा व काश्त है इसलिए प्रथम दृष्टिया मामला एवं सुविधा का संतुलन जबाब देहन्दा के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात के गैरसायलान की ओर से पेश कर निवेदन है कि प्रताप वल्द बदना जो कि बलूपूरा का न तो निवासी था एवं न ही उसके वारिसान पर कभी निवास कर रहे है एवं न ही वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त रहा है जबकि गैरसायलान जबाब देहन्दा का सेटलमेंट से पूर्व से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त आराजी पर निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त रहा एवं इसी आधार पर राजस्व रेकर्ड में जबाब देहन्दा के पूर्वजों का एंव अब उनका नाम इन्द्राज है। तत्पश्चात उक्त आराजी के खसरा नम्बर 100 को जबाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:49:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण

देहन्दा गैरसायलान संख्या 08 से लगायत 11 ने खरीद किया है जो सद्भाविक क्रेता है उक्त बेचानामा को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है एवं सायल द्वारा 50 वर्ष पूर्व की त्रुटि को सुधारने का जो प्रार्थना पत्र पेश किया है वह म्याद बाहर एवं प्रताप पुत्र बदना का नाम इन्द्राज होना एक मात्र त्रुटि है जिसका निस्तारण राजस्व ऐजेन्सी ने पूर्व में ही कर दिया है। वादग्रस्त आराजी पर सायल का कोई हक व अधिकार नहीं है। सायल का प्रार्थना पत्र आधारहीन तथ्यों पर आधारित है जो गैरसायलान को तंग व परेशान करने के लिए पेश किया है। सायल गैरसायलान के विरूद्ध किसी प्रकार से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वादग्रस्त आराजी पर निर्विवाद रूप से कब्जा जबाब देहन्दा का होने से सायल इनके विरूद्ध किसी प्रकार से कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। क्योकि सायल न तो इस आराजी का कभी खातेदार काश्त नही रहा है एवं न ही वर्तमान में उसका कोई हक व अधिकार ही है का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से इसलिए भी सायल खरिज फरमावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी/प्रार्थी की ओर से अपने पक्ष में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये–

1. RBJ 1996(3) Page no 406,509
2. RBJ (19)2012 Page no 26
3. RBJ (11)2004 Page no 606,646
4. RBJ (7)2000 Page no 206,483
5. RBJ (5)1998 Page no 71,381
6. RBJ (3)1996 Page no 338

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण की ओर से अपने पक्ष में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये–

1. RLW 2013(1) RJ-P.409, 666
2. RLW 2018(1) Rev-P.369
3. RLW 2014(1) RJ-P.42, 660
4. Current Judgement (Civil) 2021(1) Rajasthan High Court- P.252

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन [illegible] र्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन [illegible] के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार है:–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** प्रार्थी/वादी द्वारा व[illegible] आराजी [illegible] बलापुरा खसरा नम्बर खसरा 85 रकबा 7–05 बीघा, खसरा 98 रकबा 3–15 बीघा, खसरा नम्बर 100 रकबा 28–06 बीघा सभी किस्म बारानी अव्वल के संबंध में वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:49:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। प्रार्थी/वादी ने यह कथन किया है कि प्रार्थी के पिता प्रताप पुत्र बदना जाति गुर्जर ग्राम बलुपुरा के स्थाई निवासी थे जो वर्णित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थे। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी ग्राम बलुपुरा संवत् 2011-30 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रताप वल्द बदना वादग्रस्त आराजी के बतौर काश्तकार दर्ज थे। जमाबंदी संवत् 2017-20 के कॉलम संख्या 16 का अवलोकन किया गया जिसमे ''प्रताप गुर्जर व उसकी औलाद इस ग्राम में नहीं है'' अंकित किया गया है। प्रार्थी ने उक्त प्रविष्टि को बिना किसी आधार के अवैधानिक रूप से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने का कथन किया है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में प्रार्थी के पिता के नाम की प्रविष्टि को रोंग एन्ट्री होने के कथन करते हुए गैरसायलान गंगाराम वल्द भोलाराम को कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार मिलने के कथन किये है। वादग्रस्त आराजी में गंगाराम वल्द भोलाराम का नाम किस आधार पर और क्यों दर्ज किया गया के संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा कोई पर्याप्त हेतुक व न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये है। चुंकि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी में गंगाराम वल्द भोलाराम की प्रविष्टि एवं फलस्वरूप अंकित सभी प्रविष्टियों को त्रुटिपूर्ण बताया जाकर भू-अभिलेख में अंकित प्रविष्टियों को चुनौती दी है हालांकि जिन प्रविष्टियों को चुनौती दी गयी है वह त्रुटिपूर्ण है अथवा नहीं यह साक्ष्य का विषय है। अतः अन्यथा अंकित प्रविष्टियों के आधार पर वादग्रस्त आराजी की वर्तमान राजस्व रिकर्ड की स्थिति में फेरबदल होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। जिससे प्रकरण में अनावश्यक जटिलता बढेगी एवं प्रार्थी को सुगम न्याय-निर्णयन में अहितकारी विलंब एवं जटिलता का सामना करना पडेगा। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हम वादग्रस्त आराजी के वर्तमान राजस्व रिकर्ड की स्थिति को वाद निर्णय तक संरक्षित किया जाना न्यायसंगत समझते है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः-** चुंकि प्रथम बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित हुआ है साथ ही प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के कब्जा काश्त का कथन किया है अप्रार्थी ने उक्त कथन का खंडन किया है परन्तु [illegible] संबंध में अप्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा भू-अभिलेख में अपने पिता का नाम विलोपित कर गंगाराम पुत्र भोलाराम की प्रविष्टि को त्रुटिपूर्ण बताया है चुंकि वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी (संवत् 2011-30) में प्रार्थी के पिता का नाम अंकित था इसी आधार पर प्रार्थी द्वारा घोषणा का दावा किया गया। अतः हम वाद निर्णय तक वादग्रस्त आराजी की वर्तमान भू-अभिलेखीय स्थिति को सुरक्षित

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:49:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण

रखना न्यायोजित समझते है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** चुंकि प्रथम दोनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए है। साथ ही पत्रावली व अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा भू–अभिलेख में अपना नाम दर्ज होने का लाभ उठाकर वादग्रस्त आराजी का हस्तांतरण किया है और आगे भी ऐसी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता जिससे प्रकरण में अनावश्यक जटिलता बढेगी। इस प्रकार यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर अंततः हमारा यह स्पष्ट एवं विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित होते, अतः हम हस्तगत प्रकरण में ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं करनें, तथा रहन, बैचान व हस्तान्तरण नहीं करनें हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं उचित समझते है।

–: *आदेश* :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली–भाँति साबित होनें व सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा ग्राम बलूपुरा तहसील जैतारण जिला पाली के खाता संख्या नया 100 पुराना 91 खसरा 85 रकबा 7–05 बीघा, खसरा 98 रकबा 3–15 बीघा, खाता संख्या नया 133 पुराना 126 खसरा नम्बर 100 रकबा 28–06 बीघा सभी किस्म बारानी अव्वल के भू–अभिलेख की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं करें तथा रहन बैचान व हस्तान्तरण नहीं करें। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:49:05 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 24.09.2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)